राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

TELEX : 0141-2993119 EMAIL ID : MSRGY@RAJASTHAN.GOV.IN WEBSITE:WWW.MSRGY.RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकःएफ56(क)(13443)CE/DLB/MSRGY/2025/13589-13899 दिनांकः 09/10/2025

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पंजीकृत जॉब–कार्ड में परिवार के मुखिया / सदस्यों की मृत्यु उपरान्त जॉब–कार्ड में नाम परिवर्तन बाबत्।

राज्य के नगरीय निकायों में संचालित मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना (MSRGY) अंतर्गत जॉब–कार्ड धारक परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर मृतक का नाम जॉब–कार्ड से हटवाने एवं अन्य सदस्य को मुखिया के रूप मे नाम जुड़वाने (Updation) के प्रकरण में जॉब–कार्ड अपडेशन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. जॉब–कार्ड में मुखिया / सदस्य की मृत्यु उपरान्त अन्य परिवार सदस्य का नाम अपडेट (Updation) के प्रकरण में प्रार्थी द्वारा परिवार के जनाधार कार्ड में संशोधन उपरान्त संबंधित नगरीय निकाय में जॉब–कार्ड संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जावे।
2. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं नवीन जनाधार के अनुसार लिखित आवेदन का परीक्षण करवाकर जॉब–कार्ड में मुखिया / सदस्य के नाम में परिवर्तन की स्वीकृति जारी की जावे।
3. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी द्वारा आवेदन का परीक्षण करवाते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि **मृतक सदस्य का नाम हटाने से पूर्व उसके नाम पर दर्ज सभी मस्टरोल में किये गये कार्यों का भुगतान निर्धारित बैंक खाते में पूर्ण किया जा चुका हो।**
4. परिवर्तन पश्चात् **जॉब–कार्ड पर जारी रोजगार मानव–दिवस पूर्वानुसार रहेंगे एवं आगामी पखवाड़ों में परिवार के अन्य सदस्यों को उपलब्ध करवाये जाने पर Subsequent रोजगार मानव–दिवस इसी जॉब–कार्ड में जोड़े जायेंगे।**
5. उक्तानुसार नगरीय निकाय स्तर पर जॉब–कार्ड संशोधन की स्वीकृति जारी कर MSRGY पोर्टल पर जॉब–कार्ड में मुखिया के नाम अपडेशन हेतु सृजित नवीन प्रावधान अंतर्गत जनाधार के माध्यम से Latest Data Fetch कर जॉब–कार्ड को वर्तमान जनाधार सूचना अनुसार अपडेट किया जावे।

अतः मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत पंजीकृत जॉब–कार्ड में मुखिया / सदस्य का नाम अपडेट किये जाने के प्रकरणों में उक्तानुसार प्रक्रिया की पालना कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांकःएफ56(क)(13443)CE/DLB/MSRGY/2025/13900-13951 दिनांकः 09/10/2025

प्रतिलिपी :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
4. संयुक्त निदेशक (IT), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेश (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक(MSRGY)